मुण्डावर (अलवर)

26/9/19 आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली मूल प्रार्थना पत्रावली के साथ
डा० रोशन प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ पेश हुई नकल Not press
प्रार्थी उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली आज नोटिस
के खारिज हो चुकी है लेकिन रिकार्ड पत्रावली का
कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः अग्रिम कार्यवाही
इसी सम्पत्ति को लेकर की जाती
है। केवल कुमार हो। नम्बर के कारण कार्यवाही
मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ चलाने हेतु भेजा जाया।

Asyadhikari

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner